

18.08.2023

पत्रावली पैश हुई। डिक्रीदार अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह अवगत कराया कि डिक्री दिनांकित 01.11.2011 की पालना अभिलेखों में तहसीलदार द्वारा कर दी गई। प्रकरण को निर्णित किया जाना फरमावें।

अतः इस ईजराय पत्र में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। 